



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122025-268638  
CG-DL-E-19122025-268638

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 815]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2025/अग्रहायण 27, 1947
No. 815]	NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2025/AGRAHAYANA 27, 1947

---

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2025

**फा.सं. बीसीआई:डी:9109/2025.**—भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियम में अध्याय—I नियम-4 (भारतीय विधिज्ञ परिषद् एवं राज्य विधिज्ञ परिषद् के सदस्य के चुनाव के लिए योग्यता/अयोग्यता और चुनाव के लिए प्रक्रिया एवं आचार संहिता नियम) 2023 का संशोधन जोकि भारत राजपत्र में दिनांक 30.10.2025 को प्रकाशित किया गया था का स्पष्टीकरण—

यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम में वर्णित अपराधिक मामला “लम्बित” का अर्थ— जहाँ पुलिस जाँच एजेंसी ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया है और सक्षम अदालत द्वारा आरोप तय किए गए हैं से होगा।

श्री मंतो सेन, प्रधान सचिव  
[विज्ञापन-III/4/असा./551/2025-26]

**BAR COUNCIL OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 2025

**F.No. BCI:D: 9109/2025.**— Clarification to the Amendment to Rule-4, Chapter-I of Bar Council of India Rules (for Qualification/Disqualification and procedure for election and code of conduct for the elections of S.B.C/B.C.I.), 2023, which was published in the official Gazette of India on 30.10.2025.

In this Rule it is made clear that Criminal Case "Pending" means a case, where the police investigating agency has submitted charge-sheet and charges have been framed by the competent court.

SRIMANTO SEN, Principal. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./551/2025-26]